

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग- 2
संख्या-²⁵⁸⁹⁴¹/XX-2/2024-01(33)/2013
देहरादून दिनांक 05, दिसम्बर 2024

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मुख्यालय एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा के एकीकरण के फलस्वरूप सृजित 'उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा' में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली
2024

भाग- एक
सामान्य

- | | |
|----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रारिथिति | 2. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ख' एवं 'ग' के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाता है;
(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
(घ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ङ) 'विभाग' से कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(च) 'मुख्यालय' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग का मुख्यालय अभिप्रेत है; |

- (छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ज) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;
- (ञ) 'सेवा के सदस्य' से इस नियमावली से या इससे पूर्व नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ट) 'सेवा' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है;
- (ठ) 'अधीनस्थ कार्यालयों' से उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन समस्त कारागारों/कार्यालय अभिप्रेत है।
- (ड) 'अधीनस्थ पदों' से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गयी सेवा अभिप्रेत है;
- (ण) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संयर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

भाग- दो संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
- (2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, उतनी होगी जो परिशिष्ट-क में दी गयी है ;
- परन्तु उपबन्ध यह है कि-
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर/प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा,
- (ख) सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर ऐसे स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है, जिन्हें आवश्यक समझा जाय।

- (ग) उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-90 /XXX(2)/2016-30(51)15 दिनांक 26.07.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित में लिपिक वर्गीय सेवा/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के लिए प्राविधानित स्टाफिंग पैटर्न के पद प्रतिशत के अनुसार पदों को पुर्नगठित किया जा सकेगा।

भाग- तीन

भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
- (1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
 - (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
 - (3) प्रशासनिक अधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
 - (4) प्रधान सहायक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
 - (5) वरिष्ठ सहायक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
 - (6) कनिष्ठ सहायक (एक) 70 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती नियम 8 में यथा उपबंधित शैक्षिक अर्हता और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 16 में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया/उत्तराखण्ड

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

- (दो) सेवा में कनिष्ठ सहायक के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी ;

परन्तु यह कि यदि समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के कनिष्ठ सहायक पद में समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु विहित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।

- (तीन) लिपिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वाहन चालकों, जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह कि यदि वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के कनिष्ठ सहायक पद में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु विहित रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

- आरक्षण** 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

भाग- चार अर्हताएं

- राष्ट्रीयता** 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
 - (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो ;
- परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, उपयुक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक
अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:-

पद

अर्हता

कनिष्ठ
सहायक

(एक) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(दो) कंप्यूटर हिन्दी टंकण दक्षता में न्यूनतम 4000 KDPH (की-डिप्रेशन प्रति घण्टा) की गति होनी चाहिए।

अधिमान:- अंग्रेजी टंकण दक्षता में ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

अनिवार्य/
वांछनीय
अर्हता

9. कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के अनुसार होगी।

अधिमान
अर्हताएं

10. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

- आयु** 11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये, उस वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिकतम आयु प्राप्त न की हो अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर जितनी आयु विनिर्दिष्ट की जाये :
- परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष बढ़ायी जाये, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।
- चरित्र** 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में समाधान कर लेगा।
- टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति** 13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो :
- परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
- शारीरिक स्वस्थता** 14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय-3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :
- परन्तु यह भी कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :
- परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग— पाँच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या

- अवधारणा** और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को देगा।
- सीधी भर्ती की प्रक्रिया** 16. इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया** 17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 समय-समय पर यथासंशोधित के उपबन्धों के अनुसार निम्नवत विभागीय चयन समिति गठित कर की जायेगी:-
- | | | |
|-----|--|---------|
| (क) | विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी- | अध्यक्ष |
| (ख) | अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष प्राधिकारी- | सदस्य |
| (ग) | नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी- | सदस्य |
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर पात्रता सूची उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजीकों और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (दो) विभागीय चयन समिति खण्ड (एक) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे ज्येष्ठता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
- (2) 'कनिष्ठ सहायक' के 30 प्रतिशत पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' एवं वाहन चालक कार्मिकों में से जैसा कि नियम 5 (6) (दो) व (तीन) में निर्दिष्ट है, की पदोन्नति निम्नलिखित प्रक्रिया से की जायेगी:-
- (एक) लिपिक वर्ग कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 06 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से

पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंको की होगी।

- (दो) उपरोक्त उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

भाग - छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- नियुक्ति 18.** (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
- (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसे यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसे कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

- परिवीक्षा 19.** (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी

परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

- स्थायीकरण** 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—
- (क) उसका कार्य और आचरण सतोंषजनक बताया गया हो,
 - (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो, और
 - (ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।
 - (घ) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली गयी हो,
- ज्येष्ठता** 21. मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय-समय पर यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग — सात

वेतन इत्यादि

- वेतनमान** 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विभिन्न श्रेणियों के पदों के प्रवृत्त वेतनमान संलग्न परिशिष्ट— 'ख' के अनुसार होंगे।
- परिवीक्षा अवधि में** 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा

वेतन

में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवार्यें प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (2) ऐसे व्यक्ति जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोषजनक सेवार्यें प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (3) ऐसे व्यक्ति जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ**अन्य उपबन्ध**

- | | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| सेवा क्षेत्र | 24. | उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग लिपिक वर्गीय सेवा के कार्मिकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण मुख्यालय कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कहीं भी किया जा सकेगा। |
| पक्ष समर्थन | 25. | किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित या मौखिक हो, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। |
| अन्य विषयों का विनियमन | 26. | ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। |
| सेवा की शर्तों में शिथिलता | 27. | जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा |

उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अनिवार्य या शिथिल कर सकती है।

- व्यावृत्ति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

Signed by

Shailesh Bagauli

Date: 05-12-2024 16:47:44 (शैलेश बगौली)
सचिव,

संख्या- ²⁵⁸⁹⁴¹ /XX-2/2023-01(33)/2013, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की प्रश्नगत नियमावली की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Ridhim Aggarwal

Date: 05-12-2024 17:17:07

(रिद्धिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट- 'क'

[नियम-4 का उपनियम (2) देखें]

क्र० सं०	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या	योग
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	—	01
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	—	02
3	प्रशासनिक अधिकारी	03	—	03
4	प्रधान सहायक	06	—	06
5	वरिष्ठ सहायक	09	01	10
6	कनिष्ठ सहायक	10	02	12
योग =		31	03	34

परिशिष्ट- 'ख'

[नियम-22 का उपनियम (2) देखें]

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-10 रू० 56,100-1,77,500
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-8 रू० 47,600-1,51,100
3	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7 रू० 44,900-1,42,400
4	प्रधान सहायक	लेवल-6 रू० 35,400-1,12,400
5	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5 रू० 29,200-92,300
6	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3 रू० 21,700-69,100

In pursuance of the provision of clause (3) of articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dehradun, dated: 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
No.258940/XX-2/2024-1(33)/2013
Dehradun, Dated: 05. Dec. 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of "The Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject and as the result of integration of the Headquarter and Uttarakhand Prison (Subordinate Office) Ministerial Cadre service of Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulate the recruitment and conditions of service of the persons appointed in the "Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department Ministerial Cadre services"-

The Uttarakhand Prison Administration and Correctional Services Department (Ministerial Cadre) Service Rules, 2024

PART-I-General

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Short title and Commencement | <p>1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Services Department (Ministerial Cadre) Service Rules, 2024.</p> <p>(2) It shall come into force at once.</p> |
| Status of the Service | <p>2. The Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department (Ministerial Cadre) service is a service which comprises of Group "B" and "C" posts.</p> |
| Definitions | <p>3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-</p> <ul style="list-style-type: none"> a. "Appointing Authority" means the Inspector General Prison Administration and Correctional Service Department, Uttarakhand; b. "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India; c. "Commission" means the Uttarakhand Subordinate Selection Service Commission; d. "Constitution" means the Constitution of India; e. "Department" means the Prison Administration and Correctional Service Department, Uttarakhand; f. "Headquarter" means the Headquarter of the |

- Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department;
- g. **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;
 - h. **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;
 - i. **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.
 - j. **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders before commencement of this rules;
 - k. **"Service"** means the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department Ministerial Cadre Service;
 - l. **"Subordinate offices"** means the all the Prisons/ Offices under the control of the Headquarter of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department;
 - m. **"Subordinate posts"** means services done on the any of the posts of Junior Assistant, Senior Assistant, Head Assistant, Administrative officer and Senior Administrative officer;
 - n. **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

PART-II

CADRE

- | | |
|-------------------------|---|
| Cadre of Service | <ol style="list-style-type: none"> 4. <ol style="list-style-type: none"> 1. The strength of the employees / officers in the service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time. 2. The strength of the employees/ officers in the service and each category of posts therein shall, until orders |
|-------------------------|---|

varying the same are passed under sub-rule (1) as given in **Appendix-"A"** :

Provided that-

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Government may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(b) Administrative Department of the Government may with the consultation of Personnel Department and the Finance Department, create such permanent or temporary posts, from time to time, as may be required;

(c) The post of staffing pattern to ministerial cadre service in accordance with the Government order No. 90/XXX(2)/2016-30(51)15 dated 26-07-2016 of Personnel Section-2, Government of Uttarakhand and as amended from time to time posts may be reorganized according to percentage.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

- | | |
|----|--|
| 5. | <p>The recruitment on various categories posts of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department (Ministerial Cadre) Service shall be made from the following sources:-</p> <p>(1)Chief Administrative Officer By promotion, from amongst such substantively appointed Senior Administrative Officers who have completed minimum one year service and have completed 22 years of service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.</p> <p>(2) Senior Administrative Officer By promotion, from amongst such substantively appointed Administrative Officers who have completed minimum 2 years service or have completed 20 years of service on sub-ordinate posts as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of</p> |
|----|--|

(3) Administrative Officer	<p>unfit</p> <p>By promotion, from amongst such substantively appointed Head Assistant who have completed 3 years service or have completed 17 years of service on sub ordinate posts as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.</p>
(4) Head Assistant	<p>By promotion, from amongst such substantively appointed Senior Assistant who have completed 3 years service and have completed 10 years of service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.</p>
(5) Senior Assistant	<p>By promotion from amongst such substantively appointed Junior Assistant who have completed 6 years service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit.</p>
(6) Junior Assistant	<p>(i) Direct recruitment on 70 percent post shall be done on the basis of educational qualification and other provision provided in rule 8 in accordance with selection procedure specified in rule 16, through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission by direct recruitment;</p> <p>(ii) Out of 25 percent vacancies of the total posts of Junior Assistant shall be filled by promotion by Appointing Authority in</p>

accordance with the Government order issued from time to time, 15 percent from such employees of group "D" who have passed high school and 10 percent from those who have passed intermediate;

Provided that if no regular eligible employees in group "D" is available, then the posts identified from promotion of Junior Assistant posts in ministerial cadre from group "D" may be filled through direct recruitment.

(iii) 5 percent vacancies of Junior Assistant in ministerial cadre shall be filled by promotion from amongst the drivers who have passed high school or higher examination, by the Appointing Authority:

Provided that the if no regular eligible employees are available in the driver, then the posts identified for promotion to Junior Assistant posts ministerial cadre from the drivers may be filled by group "D" employees, by promotion.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Sections and other category belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV
QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) mentioned above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) mentioned above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor rejected, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. For direct recruitment on various posts in the service, the candidate must have the following qualifications:-

Post	Qualifications
Junior Assistant	<p>(i) For direct recruitment, it is essential that candidate have passed intermediate examination from Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Board of School Education, Uttarakhand or passed any examination declared equivalent by Government;</p> <p>(ii) Minimum 4000 KDPH (key depression per hour) in Computer Hindi Typing .</p>

Preference: Preference shall be given to candidate having knowledge in English Typing.

- | | |
|---|--|
| Essential/
desirable
qualification | 9. The Qualification shall be according to the Essential/Desirable Qualification for the Recruitment of Junior Assistant post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the Purview of the Public Service Commission Rules, 2010 as per rules amended from time to time. |
| Preferential
Qualification | 10. A candidate shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment, who has:-
(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
(ii) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps, |
| Age | 11. A candidate for direct recruitment, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July of the Calendar year in which vacancies are advertised or the age as specified Government from time to time:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified by State Government. |
| Character | 12. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service should be such that he is suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this regard.

Note- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to any post in the service. A persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible. |
| Marital Status | 13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service; |

Provided that the Government may, if satisfied

that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a certificate of in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Provided that in order of section 33, the posts identified for this and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the disabled shall not be denied for appointment as per rules:

Provided further that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

15. The Appointing Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6 and shall intimate to the Commission, the vacancies, to be filled through Commission.

Procedure for direct recruitment

16. Recruitment on the posts of direct recruitment under these rules shall be made by direct recruitment through the commission in accordance with the provisions of the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment For Group "C" Posts (outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2003 (as amended from time to time).

Procedure for recruitment by promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, through the following departmental selection committee constituted under the provisions of the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (for posts outside the

purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended from time to time)-

(a) Head of department/ Appointing Authority- Chairman;

(b) Additional Head of Department/Equivalent Authority-Member;

(c) Two Gazetted officers nominated by the Appointing Authority- Member;

(i) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates on the basis of seniority in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (on the posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003(as amended from time to time) and present it before the departmental selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(ii) The departmental selection committee shall prepare the list of candidates on the basis of records, referred in clause (i), according to the orders of Government at the time of recruitment and forward the same to Appointing Authority in order of seniority.

(2) Recruitment by promotion on 30 percent posts shall be made from amongst the employees substantively appointed as group "D" and drivers in the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department as specified in rule 5(6)(ii) and (iii), by the following procedure:-

(i) For the recruitment on the post of ministerial cadre Junior Assistant, the group "D" employees and drivers working in the Uttarakhand Prison administration and Correctional Service Department who have completed 05 years of regular service shall be considered the eligible. The selection on the posts by promotion of ministerial cadre Junior Assistant reserved for group "D" and drivers shall be made in the basis of merit by taking a general examination. There shall be only one question paper in the examination, consisting objective type question relating to General Hindi, General knowledge and General studies.

The written examination shall be of maximum 40 marks and 10 marks shall be for the annual character register of the eligible employee. Two marks per year shall be given for work experience on the posts of IVth class and driver and maximum 50 marks shall be awarded for work experience. Thus the selection examination shall be of 100 marks.

(ii) Apart from the above, Hindi typing test of 50 marks in shall be taken. The candidate typing less than 2400 key depression per hour in typing examination shall be ineligible. Thus the total marks of selection examination of 150 marks:

Provided that the provisions of the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 shall not apply for the promotion made under these rules.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

- | | | |
|--------------------|------------|--|
| Appointment | 18. | <p>(1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the same order in which they appear in the list prepared under rule 16 and 17, as the case may be.</p> <p>(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted.</p> |
| Probation | 19. | <p>(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.</p> <p>(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:</p> |

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any or if he does not have any lien on any post, his services may be dispensed of.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| Confirmation | 20. | <p>A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-</p> <ul style="list-style-type: none"> a. his work and conduct is reported to be satisfactory; b. his integrity is certified; (c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation; (d) have passed prescribed departmental examination, if any. |
|---------------------|-----|---|

- | | | |
|------------------|-----|---|
| Seniority | 21. | <p>The seniority of persons appointed on a substantive post in service shall be determined in accordance with the provisions of Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 (as amended from time to time).</p> |
|------------------|-----|---|

Part- VII

Pay scale etc.

- | | | |
|------------------|-----|---|
| Pay scale | 22. | <p>(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.</p> |
|------------------|-----|---|

- Pay during probation**
- (2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be according to **Appendix 'B'**.
23. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already, in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probation period and is also confirmed;
- Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules;
- Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII **OTHER PROVISIONS**

- Service area**
24. The ministerial cadre service employees of the Uttarakhand Prison Administration and Correctional Service Department may be posted/ transferred anywhere, in headquarter office and subordinate offices.
- Canvassing**
25. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.
- Regulation of other matters**
26. In relation to such subjects, which do not fall under these rules or special orders, the persons employed in the service shall be regulated by the rules, regulations and orders generally

applicable to the serving government servants related to the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Categories, Economically Weaker Sections and other categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Signed by

Shailesh Bagauli

Date: 05-12-2024 16:46:52

(Shailesh Bagauli)
Secretary

258940
No. /XX-2/24-01(33)/2013 Date Accordingly.

Copy :- To the following for inform and necessary action.

1. Director General of Police, Uttarakhand, Dehradun.
2. Inspector General of Prison Administration and Correctional Services Department, Uttarakhand, Dehradun.
3. All Senior Superintendent of Prison & Superintendent of Prison, Uttarakhand.
4. Director, Government Press, Roorkee, Haridwar for this regard please send the 100 copy of aforesaid manual.
5. Guard File.

Signed by

Ridhim Aggarwal

Date: 05-12-2024 17:16:35

By Order,

(Ridhim Aggarwal)
Special Secretary

Appendix-A

[see rule 4(2)]

S. N.	Name of Post	Number of permanent posts	Number of temporary posts	Total
1	Chief Administrative Officer	01	-	01
2	Senior Administrative Officer	02	-	02
3	Administrative Officer	03	-	03
4	Head Assistant	06	-	06
5	Senior Assistant	09	01	10
6	Junior Assistant	10	02	12
	Total	31	03	34

Appendix-B

[see rule 22(2)]

S. N.	Name of Post	Pay scale
1	Chief Administrative Officer	(level-10) 56,100-1,77,500
2	Senior Administrative Officer	(level-8) 47,600-1,51,100
3	Administrative Officer	(level-7) 44,900-1,42,400
4	Head Assistant	(level-6) 35,400-1,12,400
5	Senior Assistant	(level-5) 29,200-92,300
6	Junior Assistant	(level-3) 21,700-69,100

